

बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

आ0सं0-6/एन0-08-03/2020-.....

/पटना-15, दिनांक-.....

विभागीय आदेश ज्ञापांक-137(6), दिनांक-27.01.2020 द्वारा नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एकजामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम-4(ii) के आलोक में आर्यमन एजुकेशन ट्रस्ट, लक्ष्मिगहा, नगरनौसा, नालन्दा-801305 द्वारा प्रस्तावित राज आर्यन नर्सिंग एण्ड पारामेडिकल कॉलेज, मोहदीपुर, रामघाट, नालन्दा-801305 के नाम से बी0एस0सी0 (नर्सिंग) संस्थान की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान किया गया।

2 - विभागीय आदेश ज्ञापांक-231(6), दिनांक-12.02.202 द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने के संबंध में डॉ0 राधाकान्त सिंह सुधाकर, अपर निदेशक, मुख्यालय, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जांच एवं निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

3 - विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक में सम्यक दिचारोपरान्त, राज आर्यन नर्सिंग एण्ड पारामेडिकल कॉलेज, मोहदीपुर, रामघाट, नालन्दा-801305 को नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एकजामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम-4 (iii) के आलोक में बी0एस0सी0 (नर्सिंग) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 60 (साठ) सीटों पर नामांकन लेने हेतु एक सत्र के लिए निम्न शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है :-

(क) संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों/निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी। सिविल सर्जन, नालन्दा समय-समय पर संस्थान की गुणवत्ता का निरीक्षण करेंगे तथा भारतीय उपचर्या परिषद की अर्हताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।

(ख) नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एकजामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 एवं समय-समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा।

(ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा-निर्देश के आलोक में अपना निरीक्षण करा लेंगे।

(घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्र/छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।

(ङ) संस्थान विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त कर लेगी।

(च) राज्य के अन्तर्गत नर्सिंग शिक्षा में गुणात्मक सुधार के निमित्त विभागीय आदेश ज्ञापांक-944(6), दिनांक-26.07.2019, 631(6), दिनांक-17.05.2019 एवं पत्रांक-991(6), दिनांक-05.08.2019 द्वारा नर्सिंग संस्थानों के लिए निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन तीन माह के अन्दर किया जाएगा। साथ ही अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त कर निर्धारित अवधि के अन्तर्गत विभाग को समर्पित करेंगे। इसे अत्यावश्यक समझेंगे एवं भविष्य में निर्गत होने वाले दिशा-निर्देशों का अनुपालन संस्थान अनिवार्य रूप से करेगी।

(छ) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना (ii) सिविल सर्जन, नालन्दा तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

4 - इसमें माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(डॉ0 कौशल कुमार)

निदेशक प्रमुख,

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापक : 6/एन0-08-03/2020-363(6)

पटना दिनांक-15/03/2021

प्रतिलिपि:- सचिव, राज आर्यन नर्सिंग एण्ड पारामेडिकल कॉलेज, मोहदीपुर, रामघाट, नालन्दा-801305 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, 8वां तल्ल, एन0बी0सी0सी0 सेंटर, प्लॉट नं0-2, कम्यूनिटी सेंटर, ओखला फेज-01, नई दिल्ली-110020/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, नालन्दा/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निबंधक, आर्यभट नॉलेज युनिवर्सिटी, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख, 15/3/21
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।